रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2014/चैत्र 27, 1936
No. 214] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2014/CHAITRA 27, 1936

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2014

सा.का.नि.284(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बुनकर सेवा केन्द्र और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (समूह 'ग' और समूह 'घ' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1980 को जहां तक उसका संबंध अधीक्षक, उपअधीक्षक, सहायक, लेखाकार, ज्येष्ठ आशुलिपिक, तकनीकी अधीक्षक, पैटर्न मेकर और सह डिजाइनर, तकनीकी सहायक (रंगाई), कला डिजाइनर, फोटो चित्रकार, बुनकर श्रेणी-I और रंगाई मास्टर या छपाई मास्टर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, बुनकर सेवा केन्द्रों और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, हथकरघा विकास आयुक्त संगठनों के अधीन समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – वस्त्र मंत्रालय, बुनकर सेवा केन्द्र और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निर्हरता** – वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक	38* (2014) *कार्यभार के अधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ख'' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड -2, 9300-34800 ₹ + ग्रेड वेतन 4200 ₹	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अंतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- उच्च श्रेणी लिपिक जिनकी वेतन बैंड- 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुनश्चर्या का अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : – **(क) (i)** जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या **(ii)** जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 ₹ + ग्रेड वेतन 2400 ₹ या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा है; और **(ख)** निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं:- **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; **(ii)** स्थापना, लेखा और साधारण प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :** 1. क्षेत्रीय निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (बुनाई/डिजाइन/ प्रसंस्करण), बुनकर सेवा केन्द्र - सदस्य 3. सहायक निदेशक (गैर तकनीकी) श्रेणी-I, या श्रेणी II, मुख्यालय या बुनकर सेवा केन्द्र या भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान - सदस्य	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाए उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवी समझी जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. आशुलिपिक श्रेणी-I	7* (2014) *कार्यभार के अधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड -2, 9300-34800 ₹ + ग्रेड वेतन 4200 ₹	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 ₹ + ग्रेड वेतन 2400 ₹ श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुनश्चर्या का अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-** 1. क्षेत्रीय निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (बुनाई/डिजाइन/	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति -** केन्द्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक पद धारण किए हुए ऐसे अधिकारी – **क (i)** जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या **(ii)** जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 ₹ + ग्रेड वेतन 2400 ₹ या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा है। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण :** (प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाए उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवी समझी जाएगी।	प्रसंस्करण), बुनकर सेवा केन्द्र - सदस्य 3. सहायक निदेशक (गैर तकनीकी) श्रेणी-I, या श्रेणी II, मुख्यालय या बुनकर सेवा केन्द्र या भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. तकनीकी अधीक्षक (बुनाई)	51* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -2, 9300-34800 ₹ + ग्रेड वेतन 4200 ₹	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अनधिक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या हथकरघा प्रौद्योगिकी या हथकरघा और टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा **(ii)** किसी टेक्सटाइल बुनाई या उत्पादन स्थापन या निगम या संस्था में शिफ्ट के भारसाधक के रूप में डिग्री धारकों के लिए दो वर्ष का और डिप्लोमा धारकों के लिए तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव जिसमें हथकरघा कपड़ों के उत्पादन की सभी तकनीकियों जिसके अंतर्गत पारंपरिक किस्मों के और सभी तंतुओं के विशेष कपड़ों और उनके समिश्रण, उनको सज्जारहित करना, निर्माण करना भी है और हथकरघा के उपसाधनों जैसे चित्रवलेम (जैकार्ड), जाल, डोबी (चित्रत) का कार्य करने और उनके लागत और विश्लेषण का और उत्पादन के उन्नत उपसाधनों और समुचित तकनीकी का प्रयोग करके नये डिजाइनों और बुनावटों के साथ-साथ वैसे ही वाणिज्यिक नमूनों के उत्पादन को व्यवस्थित करने में बुनकरों के क्रियाकलापों के मार्गदर्शन और नियंत्रण करने में एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य किसी परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- क **(i)** जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या **(ii)** जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 ₹ + ग्रेड वेतन 2800 ₹ या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में छह वर्ष की सेवा है; और (ख) स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। (प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर

टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण** 2:- अनुभव संबंधी(अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह **'ख'** विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. क्षेत्रीय निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (बुनाई/डिजाइन/प्रसंस्करण), बुनकर सेवा केन्द्र - सदस्य 3. सहायक निदेशक (गैर तकनीकी) श्रेणी-I, या श्रेणी II, मुख्यालय या बुनकर सेवा केन्द्र या भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. टेक्सटाइल डिजाइनर	47*(2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300 - 34800 ₹ + ग्रेड वेतन 4200 ₹	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अनधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कपड़े डिजाइन विषय के साथ टेक्सटाइल डिजाइन में बैचलर डिग्री। (ii) किसी हथकरघा स्थापन या डाई घर में टेक्सटाइल डिजाइन के क्षेत्र में समुचित मूलभाव और रंग संयोजन के साथ-साथ पेपर और तंतुओं पर डिजाइन अभिन्यास का डिजाइनर के रूप में दो वर्ष का अनुभव हो। या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से टेक्सटाइल डिजाइन विषय के रूप में ललितकला में 3 वर्ष का डिप्लोमा; (ii) किसी हथकरघा स्थापन या डाई घर में टेक्सटाइल डिजाइन के क्षेत्र में समुचित मूलभाव और रंग संयोजन के साथ-साथ पेपर और तंतुओं पर डिजाइन अभिन्यास करने का डिजाइनर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण** 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में तब तक शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य किसी परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- क **(i)** जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या **(ii)** जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 ₹ + ग्रेड वेतन 2800 ₹ या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में छह वर्ष की सेवा है; और (ख) स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। (प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह **'ख'** विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. क्षेत्रीय निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (बुनाई/डिजाइन/ प्रसंस्करण), बुनकर सेवा केन्द्र - सदस्य 3. सहायक निदेशक (गैर तकनीकी) श्रेणी-I, या श्रेणी II, मुख्यालय या बुनकर सेवा केन्द्र या भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. तकनीकी अधीक्षक (प्रसंस्करण)	24* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -2, 9300-34800 ₹ + ग्रेड वेतन 4200 ₹	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अनधिक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से टेक्सटाइल प्रसंस्करण या टेक्सटाइल रसायन में चार वर्ष की बैचलर डिग्री या टेक्सटाइल प्रसंस्करण या टेक्सटाइल रसायन में बैचलर ऑफ इंजीनियरी या बैचलर ऑफ प्रौद्योगिकी में चार वर्ष की बैचलर डिग्री ; (ii) किसी टेक्सटाइल प्रसंस्करण के कारखाने या प्रसंस्करण अथवा डाई घर या डाई प्रयोगशाला या हथकरघा स्थापन में शिफ्ट के भार साधक या डायर या ब्लीचर या परिसाधक या डाई मास्टर या फिटिंग मास्टर या टेक्सटाइल प्रसंस्करण सहायक या प्रयोगशाला तकनीशियन या निदेशक (प्रसंस्करण) या पर्यवेक्षक के रूप में ब्लीचिंग या डाइंग या प्रिंटिंग या परिसाधन आदि से संबंधित कार्य को हैंडलिंग करने का दो वर्ष का अनुभव । या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हथकरघा प्रौद्योगिकी या हथकरघा और टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से टेक्सटाइल रसायन या टेक्सटाइल प्रसंस्करण में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा; (iii) किसी टेक्सटाइल प्रसंस्करण के कारखाने या प्रसंस्करण अथवा डाई घर या डाई प्रयोगशाला या हथकरघा स्थापन में शिफ्ट के भार साधक या डायर	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण: पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य किसी परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं और स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । (प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

या ब्लीचर या परिसाधक या डाई मास्टर या फिटिंग मास्टर या टेक्सटाइल प्रसंस्करण सहायक या प्रयोगशाला तकनीशियन या निदेशक (प्रसंस्करण) या पर्यवेक्षक के रूप में ब्लीचिंग या डाइंग या प्रिंटिंग या परिसाधन आदि से संबंधित कार्य को हैंडलिंग करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारण लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. क्षेत्रीय निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (बुनाई/डिजाइन/ प्रसंस्करण), बुनकर सेवा केन्द्र - सदस्य 3. सहायक निदेशक (गैर तकनीकी) श्रेणी-I, या श्रेणी II, मुख्यालय या बुनकर सेवा केन्द्र या भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. फोटो चित्रकार	06* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -2, 9300-34800 ₹ + ग्रेड वेतन 4200 ₹	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अनधिक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले

					के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फोटो चित्रण में तीन वर्ष का डिप्लोमा; 2. किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में फोटो चित्रण की विभिन्न विद्या शाखाओं में फोटो चित्रण के रंगों के प्रसंस्करण और फोटो चित्रकारी के उपस्करों के रखरखाव में तीन वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य किसी परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं और स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह **'ख'** विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. क्षेत्रीय निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र —अध्यक्ष 2. उप निदेशक (बुनाई/डिजाइन/ प्रसंस्करण), बुनकर सेवा केन्द्र —सदस्य 3. सहायक निदेशक (गैर तकनीकी) श्रेणी-I, या श्रेणी II, मुख्यालय या बुनकर सेवा केन्द्र या भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. ज्येष्ठ बुनकर	27* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	**वेतन बैंड -2,** 9300-34800 ₹ + **ग्रेड वेतन** 4200 ₹	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे कनिष्ठ बुनकर जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 ₹ + ग्रेड वेतन 2800 ₹ श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो । **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित ग्रेड वेतन/ वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. क्षेत्रीय निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र - अध्यक्ष 2. उप निदेशक(बुनाई/डिजाइन/ प्रसंस्करण), बुनकर सेवा केन्द्र - सदस्य 3. सहायक निदेशक (गैर तकनीकी) श्रेणी-I, या श्रेणी II, मुख्यालय या बुनकर सेवा केन्द्र या भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. डायर - सह प्रिंटर मास्टर	06* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड -2 9300-34800 ₹ + ग्रेड वेतन 4200 ₹	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा: ऐसे ज्येष्ठ प्रिंटर जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 ₹ + ग्रेड वेतन 2800 ₹ श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा किया हो । **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. क्षेत्रीय निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (बुनाई/डिजाइन/ प्रसंस्करण), बुनकर सेवा केन्द्र - सदस्य 3. सहायक निदेशक (गैर तकनीकी) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित ग्रेड वेतन/ वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	श्रेणी-I, या श्रेणी II, मुख्यालय या बुनकर सेवा केन्द्र या भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान	

[सं. ए-12028/3/2011-डीसीएचएल/ई-II(वाल्यूम-III)]

जया दुबे, अपर हथकरघा विकास आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Development Commissioner for Handlooms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2014

G.S.R. 284(E.).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Weavers' Service Centres and Indian Institutes of Handloom Technology (Group 'C' and Group 'D' Non-Gazetted posts) Recruitment Rules 1980, in so far as they relate to the posts of Superintendent, Deputy Superintendent, Assistant, Accountant, Senior Stenographer, Technical Superintendent, Pattern Maker-cum-Designer, Technical Assistant (Dyeing), Art Designer, Artist, Photographer, Weaver Grade-I and Master Dyer or Master Printer except as respects things done or omitted to be done above before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the Ministry of Textiles, Weavers' Service Centres and the Indian Institutes of Handloom Technology under the organisation of the Development Commissioner for Handlooms, namely :-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Weavers' Service Centres and the Indian Institutes of Handloom Technology, Group 'B', Non-Gazetted Post Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. -** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. -** The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. -**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. -**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant.	38* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band- 2 ₹ 9300 - 34800/- plus grade pay of ₹ 4200/-.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion, failing which by deputation (including short- term contract).

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Upper Division Clerks in pay band-1, ₹ 5200-20200 plus grade pay of ₹ 2400 with ten years regular service in the grade and have undergone refresher course from any recognised Institute.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Zonal Director, Weavers' Service Centre – Chairman	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research Institutions or Semi-Government or statutory or autonomous organisations :- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / Department; or (ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-1, ₹ 5200-20200/- plus grade pay of ₹ 2400/- or equivalent in the parent cadre / Department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Bachelor's Degree from a recognised University; (ii) with two years experience in establishment, accounts and general administration. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other	2. Deputy Director (Weaving/Design/ Processing), Weavers' Service Centre –Member 3. Assistant Director Grade- I / II (Non-Technical) from Headquarter/ Weavers' Service Centre / Indian Institute of Handloom Technology –Member	

organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications). **Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Stenographer Grade-I	7* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-2 ₹ 9300-34800 plus grade pay of ₹ 4200.	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion, failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographers Grade-II in pay band-I, ₹ 5200-20200 plus grade pay of ₹ 2400 with ten years regular service in the grade and have undergone refresher course from any recognised Institute. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligible service. **Note-2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1. Zonal Director, Weavers' Service Centre – Chairman 2. Deputy Director (Weaving/Design/ Processing), Weavers' Service Centre –Member 3. Assistant Director Grade- I / II (Non-Technical) from Headquarter/ Weavers' Service Centre / Indian Institute of Handloom Technology –Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation :** Officers holding the post of Stenographer under the Central Government:- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre / Department; or (ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-1, ₹ 5200-20200 plus grade pay of ₹ 2400 or equivalent in the parent cadre or Department. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications). **Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommend-dations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Technical Superintendent (Weaving)	51* (2014) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 ₹ 9300-34800 plus grade pay of ₹ 4200.	Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

					Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor's Degree in Textile Technology or three years Diploma in Handloom Technology or Handlooms and Textile Technology from a recognised University or Institute; (ii) two years practical experience as Shift-in-charge for Degree holders and three years for Diploma holders in a textile weaving or production establishment or Corporation or Institution, out of which, at least one year should be in handlooms dealing with all the different techniques of production as well as analysis and costing of handloom fabrics including traditional varieties and special fabrics of all fibres and their blends, dismantling, erecting and working of different types of handlooms and handloom accessories such as jacquards, dobbies, jalas and experience of guiding and controlling the activities of the weavers in the production of fabrics with new designs and textures as well as organise production of commercial samples using improved accessories and appropriate techniques of production. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority for	Not applicable	Two years	By Direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of Central Government :- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in pay band-1, ₹ 5200-20200 plus grade pay of ₹ 2800 or equivalent in the parent cadre/Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). (The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum

reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1. Zonal Director, Weavers' Service Centre – Chairman 2. Deputy Director (Weaving/Design/ Processing), Weavers' Service Centre –Member 3. Assistant Director Grade- I / II (Non-Technical) from Headquarter/ Weavers' Service Centre / Indian Institute of Handloom Technology –Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Textile Designer.	47* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 ₹ 9300-34800 plus grade pay of ₹4200	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba

					District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor's Degree in Textile Design or Fine Arts with Textile Designs as a subject from a recognised University or Institute; (ii) two years experience as a designer in the field of textile designing with appropriate motifs and colour combination as well as lay-out of designs on paper and fabrics in a handloom establishment or in a dye house. or (i) Three years Diploma in Fine Arts with textile designs as a subject from a recognised University or Institute; (ii) three years experience as a designer in the field of textile designing with appropriate motifs and colour combination as well as lay-out of designs on paper and fabrics in a handloom establishment or a dye house. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of Central Government :- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-1 of ₹ 5200-20200 plus grade pay ₹ 2800 or equivalent in the parent cadre / Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). (The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1. Zonal Director, Weavers' Service Centre – Chairman; 2. Deputy Director (Weaving/Design/Processing), Weavers' Service Centre –Member; 3. Assistant Director Grade- I / II (Non-Technical) from	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

	Headquarter/ Weavers' Service Centre / Indian Institute of Handloom Technology - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Technical Superintendent (Processing).	24* (2014) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 ₹ 9300-34800 plus grade pay of ₹ 4200.	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Four years Bachelor's Degree in Textile Processing or Textile Chemistry or Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology in Textile Processing or Textile Chemistry from a recognised University or Institute; (ii) two years experience as a Shift-in-charge/Dyer/Bleacher/Finisher/ Dyeing Master / Printing Master/ Textile Processing Assistant/ Laboratory Technician/ Demonstrator (Processing)/ Supervisor, handling work relating to bleaching or dyeing or printing or finishing etc. in a textile processing	Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department and possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). (Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other

factory / processing or dye house/ dyeing laboratory / handloom establishment. or (i) Diploma in Handloom Technology or Diploma in Handloom and Textile Technology from a recognised University or Institute; (ii) Post Diploma in Textile Chemistry or Textile Processing from a recognised University or Institute; (iii) two years experience as a Shift-in-charge / Dyer / Bleacher / Finisher / Dyeing Master/ Printing Master / Textile Processing Assistant / Lab Technician / Demonstrator (Processing) / Supervisor, handling work relating to bleaching or dyeing or printing or finishing in a textile processing factory / processing or dye house / dyeing laboratory / handloom establishment **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Photographer.	06* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 ₹ 9300-34800 plus grade pay of ₹ 4200.	Not applicable.	Not exceeding thirty years. **Note 1:-** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instruction or orders

					issued by the Central Government). **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. Three years Diploma in Photography from a recognised University or Institute; 2. Three years experience in various branches of photography, colour processing and maintenance of photographic equipments in any Government/ Semi-Government/ Statutory/ autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or in any recognised Institution. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department and possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).

Desirable: (i) six months experience in computer operation in software like Microsoft-Office, Corel Draw, Photoshop, Page Maker and internet basics, including experience of scanning and working with digital technology/equipments; (ii) one year experience in fashion photography.			

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1. Zonal Director, Weavers' Service Centre – Chairman 2. Deputy Director (Weaving/Design/Processing), Weavers' Service Centre –Member 3. Assistant Director Grade- I/II (Non-Technical) from Headquarter/ Weavers' Service Centre/Indian Institute of Handloom Technology –Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Senior Weaver.	27* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non Ministerial.	Pay band-2 ₹ 9300–34800 plus grade pay of ₹4200.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Weaver in pay band-1, ₹5200–20200 plus grade pay of ₹2800 with six years regular service in the grade and have undergone refresher course at Indian Institute of Handloom Technology or any other recognised Institute. **Note-1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1. Zonal Director, Weavers' Service Centre – Chairman 2. Deputy Director (Weaving/Design/ Processing), Weavers' Service Centre –Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. **Note-2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	3. Assistant Director Grade- I / II (Non-Technical) from Headquarter/ Weavers' Service Centre / Indian Institute of Handloom Technology –Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.Master Dyer-cum-Master Printer.	06* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non Ministerial.	Pay band - 2 ₹9300–34800 plus grade pay of ₹4200.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Printer in pay band-1, ₹5200—20200 plus grade pay of ₹2800 with six years regular service in the grade and have undergone refresher course at the Indian Institute of Handloom Technology or any other recognised Institute. **Note-1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1. Zonal Director, Weavers' Service Centre –Chairman 2. Deputy Director (Weaving/Design/ Processing), Weavers' Service Centre –Member 3. Assistant Director Grade- I/II (Non-Technical) from Headquarter/Weavers'	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

have already completed such qualifying/eligibility service. **Note-2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Service Centre / Indian Institute of Handloom Technology –Member.	

[No. A-12028/3/2011-DCHL/E. II(Vol. III)]

JAYA DUBEY, Addl. Development Commissioner for Handlooms

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.